AC-II   राजेन्द्र कुमार बनाम [illegible]

दावा- 28/2016

टिप्पणी (आदेश)   सं.ई.एम.13

15/03/2022 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप० प्रा. पत्र का अवलोकन किया गया
प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रा पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
खसरा नंबर 3002 रकबा 0.05 है०, 3004 रकबा 0.04 है०, 3011 रकबा 0.01 है० कुल
किता 3 कुल रकबा 0.10 है० भूमी रास्ते की
है जो शामलाती रूप से रास्ते के रूप में दर्शायी गयी है जिसका उपयोग उपभोग
केवल रास्ते के लिए ही किया जा रहा है
इस कारण प्रार्थी/वादी ने माननीय न्यायालय को
गुमराह कर गलत तथ्यों पर यह वाद
प्रस्तुत किया है, जो कानून के प्रावधानों के
विपरित होने के कारण कानून में बाधित है
अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार कर वादी का
वाद खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी प्रतिवादी
ने जवाब न पेश कर मौखिक बहस हेतु
निवेदन किया। बहस प्रा. पत्र पर वकील अप्रार्थी
सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजात
विज्ञापन पत्र सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात
व तहसीलदार [illegible] (जारी) वास्ते [illegible] से
स्पष्ट है कि [illegible]
रास्ते के रूप में [illegible]
उपयोग-उपभोग किया [illegible]
होने में वादग्रस्त आराजीयात का

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:39:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजेन्द्र कुमार / दुनीचंद

AC-II

दावा - 28/2016

तकासमा किया जाना संभव नहीं है
पक्षीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही
खारिज किए जाने योग्य है अतः
प्रार्थी / जतिवादी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत
प्र. पत्र 07 R11 स्वीकार किया
जाकर वादी का वाद बाई कोय
लो होने से खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक
15/03/2022 को खुले इजलास
सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:39:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner